राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक :- प.6(6)राज-6/92/123 जयपुर, दिनांक :- 15.12.2005

1) समस्त संभागीय आयुक्त
2) समस्त जिला कलेक्टर

परिपत्र

(1) औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ नियमानुसार भूमि का आवंटन दो प्रकार से हो सकता है-

(अ) स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि का उक्त प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया जाकर आवंटन

(ब) राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवाय चक भूमि का आवंटन

(2) इस प्रकार संपरिवर्तित भूमि का उपयोग संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ न कर पाने पर आवंटी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि को मूल रूप में कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी में दर्ज करवाया जा सकता है परन्तु राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवाय चक भूमि के आवंटन के प्रकरणों में नियमानुसार आवंटी का आवंटन निरस्त होकर पुनः मूल रूप से सिवाय चक दर्ज की जानी होती है।

(4) कतिपय मामलों में शासन के यह ध्यान में लाया गया है कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सिवाय चक भूमि के आवंटन के मामलों में भी आवंटी द्वारा आवंटित प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग न कर पाने की स्थिति में राजस्व अधिकारियों के समक्ष आवंटी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रकरण का पूर्ण परीक्षण किये बिना ही इस प्रकार की सिवाय चक राजकीय भूमि को भी आवंटी के खातेदारी में दर्ज कर दी गई है, जो नियमानुसार सही नहीं है और इससे राज्य सरकार को हानि होती है।

(5) अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति, कम्पनी या किसी Juristic person को राजकीय सिवाय चक भूमि औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है तो जब कभी उक्त भूमि उस अकृषि उद्धेश्य हेतु उपयोग में नहीं ली जायेगी तो वो पुनः राज्य सरकार के नाम सिवाय चक भूमि के रूप में दर्ज की जानी है। यदि ऐसे मामलों में आवंटित व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि को पुनः कृषि में संपरिवर्तन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो उक्त भूमि उस व्यक्ति की खातेदारी में कृषि भूमि के रूप में दर्ज नहीं की जायेगी, क्योंकि उपरोक्त व्यक्ति के नाम उक्त कृषि भूमि थी ही नहीं और ऐसी भूमि सिवाय चक ही दर्ज की जायेगी।

(6) अतः उक्त स्थिति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट करावें और यह भी जांच करायें कि क्या किसी मामले में इस प्रकार की गलती हुई है, यदि हां, तो उसे चिन्हित कर भूमि को तुरन्त सिवाय चक दर्ज करवाकर कब्जाराज लिया जावे एवं दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर पर भिजवाये जावें।

(7) आप अपने जिले में ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कर एक माह में राज्य सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

आज्ञा से,
शासन उप सचिव, राजस्व 15/12/05

P.T.O.

रा.के.मु.ज.--40

राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक,मा0 राजस्व मंत्री महोदय,राज0,जयपुर
2. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,मुख्यमंत्री,राज.,जयपुर
3. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,राजस्व/शासन सचिव,राजस्व
4. निबन्धक,राजस्व मण्डल,राज0अजमेर
5. समस्त शासन उपसचिव,राजस्व विभाग
6. गार्ड फाईल

15/12/05

शासन उपसचिव,राजस्व